झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 56 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती मरियम लकड़ा
ग्रा०- करकट्टा, पो०- राजा उलातु, राँची

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग **कैम्प कार्यालय, राँची।** **वाद सं0–56/2023** आज दिनांक–05.10.2023 को राँची परिसदन भवन में जन सुनवाई के दौरान श्रीमती मरियम लकड़ा, ग्राम–करकट्टा, पो0–राजा उलातू, थाना–नामकुम, जिला–राँची का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। प्राप्त शिकायत–पत्र में शिकायतकर्ता को राशन डीलर, स्वयं सिद्ध महिला समिति, नामकुम के विरूद्ध राशन में कटौती कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत–पत्र में स्वयं के गंभीर रूप से बीमार रहने एवं अपने पुत्र के विकलांग होने का भी उल्लेख किया गया है। आयोग शिकायत–पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध कराते हुए यह निर्देश देता है कि राशन डीलर द्वारा जितने दिनों का राशन काटा गया है, उतने दिनों का राशन सवा गुणा मुआवजा सहित लाभुक को उपलब्ध कराया जाए। निदेश दिया गया कि इस वाद को आयोग में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। मामले की अगली सुनवाई आयोग कार्यालय में होगी। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx63	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–56 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती मरियम लकड़ा, ग्राम–करकट्टा, पो0–राजा उलातू, राँची अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री सौरभ सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची ने शिकायतकर्त्ता को सवा गुणा मुआवजा सहित राशन उपलब्ध करा दिये जाने का लिखित प्रमाण पेश किया है आयोग के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निर्देश देता है कि वो अपने अधीन आने वाले सभी जनवितरण प्रणाली के दुकानों में निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे, और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें कि क्षेत्र के किसी भी लाभुक को अनाज कम दिये जाने की शिकायत न रहें। उपरोक्त निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमाशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx10

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267